

फर्द अहवाम

अशोक चौधरी समूह

बनाम

बचामी देवी समूह

बच का नाम- उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

दिनांक 10/03/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20.11.2024	<p>अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निवेद्याज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टे हो चुकी है। अतः वर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये मोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.12.2024 को पेश हो।</p>	
18.12.24	<p>पत्रावली देखा हुआ। अधिवक्ता प्रार्थना पत्रावली के तलबी खतम गण डिलिवरी रजिस्टर में पेश। न्या. गि. रजि. अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण कर्तव्य। अप्रार्थी सं. 1/2024/06 की और 1/2024/06 अमानत द्वारा मूल नार्ड में बकायतनामा पेश। अप्रार्थी सं. नू. व. 8 के सिद्ध न्यायपूर सुनना के आनुपायित करने के कारण एक पक्षीय न्यायिकी बगल में पक्षी गंगी अधिवक्ता प्रार्थी सं. 1/2024/06 द्वारा पत्रावली प्रस्तुत ना कर सिधे अदालत के निवेदन किया गया। अधिवक्ता अमानतकारान के निवेदन पर अदालत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सुनी गयी। दौरान अदालत अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र से बर्तित तलबी को नौहरान करते हुए प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण का तलबीकना वाद मोके व रजिस्टर रिपोर्ट की प्रयास्यति बनाएं करने नाबत बाबत अहवाम का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/2024/06 द्वारा दौरान अदालत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रजिस्टर करने वास्ता सहमति प्रदान की गयी। अदालत अधिवक्ता अमानत</p>	<p style="text-align: center;">5 उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

सर्वोच्च न्यायालय

बनाम

राजस्थान न्यायालय

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 103 / 2024....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पत्रकारान पर मन्तन क्रिया गय्या। पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का मकलौकत क्रिया गय्या। प्रार्थित का प्रार्थना पत्र स्वीकार क्रिया जाना न्यायमूर्ति प्रतिक डीता है। अतः प्रार्थित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन्तगति धारा 212 R.T.A. स्वीकार क्रिया जानकर उभयपक्षकारान का तामिलता वादा पाबंद क्रिया जाता हैकि सिवादग्रस्त राजाजी ख० सं० 693/2 रकबा 0.5181 हे० वाने ग्राम डूंगरी प० ६० जीरपुरा (मुन्तरियावाला) तहसील जोबनेर के मोक एवं राजस्व रिकार्ड की प्रथारहिति प्रवाएं रखें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गय्या। पत्रावली क्रिसल नुमार डीकार नंबर से कम डीकार दाखिल यन्तर डी। ४०१</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>